International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2024; 6(2): 41-43
Received: 23-11-2023
Accepted: 29-12-2023

सरिता सैनी
शोधार्थी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
सरिता सैनी
शोधार्थी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

महिला आरक्षण प्रारम्भ से "नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023" तक का सफरनामा

सरिता सैनी

सारांश
प्रजातन्त्र केवल नस्लों, राष्ट्रों एवं वर्गो के मध्य ही न्याय तथा समानता की स्थापना की अपेक्षा नहीं करता बल्कि मानव जाति के दो सर्वाधिक मूल विभजानों स्त्री–पुरुष के मध्य भी समानता की स्थापना की अपेक्षा करता है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण व्यवस्था केवल नारीवादी स्वप्नों को ही साकार नहीं करता अपितु सम्पूर्ण समाज की उन्नति एवं लोकतन्त्र के सशक्तिकरण के लिए भी यह आवश्यक है।
संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार संसद में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत होनी चाहिए। चीन, रूस, कोरिया, फिलीपींस आदि देशों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का पहले से ही प्रावधान किया हुआ है। जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे आदि देशों की राजनीतिक पार्टियों ने भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है।

कुटशब्दः आरक्षण, समतामूलक समाज, सशक्तिकरण, विकेन्द्रीकरण।

प्रस्तावना
आजादी के पश्चात् दुनिया के विशालतम लोकतन्त्र का सृजन करने वाले संविधान निर्माताओं ने समरसता एवं शोषण विहीन समतामूलक समाज की स्थापना के आशयों से ही भारतीय संविधान में विभेदों को अस्वीकार करते हुये स्त्री–पुरुष समानता को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया है।
प्रजातन्त्र केवल नस्लों, राष्ट्रों एवं वर्गो के मध्य ही न्याय तथा समानता की स्थापना की अपेक्षा नहीं करता बल्कि मानव जाति के दो सर्वाधिक मूल विभजानों स्त्री–पुरुष के मध्य भी समानता की स्थापना की अपेक्षा करता है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण व्यवस्था केवल नारीवादी स्वप्नों को ही साकार नहीं करता अपितु सम्पूर्ण समाज की उन्नति एवं लोकतन्त्र के सशक्तिकरण के लिए भी यह आवश्यक है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर जवाहर लाल नेहरू ने प्रथम लोकसभा चुनाव, जिसमें मात्र 14 महिलाएँ थी पर खेद प्रकट करते हुए कहा – "मुझे अफसोस है कि इतनी कम महिलाएँ चुनाव जीती है। इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है. ..... हमारे कानून, हमारे समाज में सब जगह पुरुषों का वर्चस्व है और हम सबका इसको लेकर एक तरफ खैमा है..... लेकिन अंत में महिलाएँ ही भारत के भविष्य की निर्मात्री होगी।"[1]
भारत में स्वतन्त्रता के बाद से निरन्तर प्रभास हो रहे है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो जिसमें वे भी घर से बाहर की दुनिया में प्रवेश कर सके। गाँधीजी ने एक सपना देखा था कि स्वतन्त्र भारत में एक सशक्त ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हो, जिसमें शासन के कार्य की प्रथम इकाई पंचायते ही होगी। साथ ही ग्राम पंचायत पूर्णतया स्वामत्त व स्वाबलम्बी हो।

महिला आरक्षण बिल का इतिहास
- 11वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा के समय 12 सितम्बर, 1996 में पहली बार महिला विधेयक पेश किया।
- दूसरी बार 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 14 दिसम्बर, 1998 को महिला आरक्षण विधेयक लाया गया।
- 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय तीसरी बार दिसम्बर, 1999 में विधेयक लाया गया, परन्तु आम राम न होने से विधेयक पास नहीं हो सका।
- 2008 में चौथी बार लोकसभी की बजाय राज्यसभा में विधेयक लाया गया जिसे स्थायी समिति में भेजा गया रिपोर्ट आने के बाद 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा ने इसे पारित किया और लोकसभा को भेजा लकिन 15वीं लोकसभा 18 मई, 2014 को जैसे ही भंग हुई, विधेयक लैप्स हो गया।[2]
- वर्तमान सरकार ने 18 सितम्बर, 2023 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को मंजूरी दी।

- 19 सितम्बर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (128 वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक) लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर पेश किया गया।
- 20 सितम्बर, 2023 को विधेयक को लोकसभा ने पारित किया।
- 21 सितम्बर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 राज्यसभा में पेश किया गया, देर रात तक चर्चा के बाद पारित हुआ।

भारतीय साहित्य की अमर विभूति स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिसा भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि 'उत्कल–भारती' कुंतला कुमारी साबत ने लगभग 100 वर्ष पहले लिखा था कि–

"बसुंधरा–तले भारत–रमणी नुहे हीन नुहे दीन
अमर कीरति कोटि युगे केभें जगतुं नोहिथ लीन।"

अर्थात् भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में न तो हीन है न दीन है। सम्पूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों–युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी यानी सदैव बनी रहेगी।

महिला आरक्षण का मुद्दा स्वतन्त्रता संग्राम के समय से ही चला आ रहा है, यहाँ तक कि संविधान सभा की बहस के दौरान भी यह मुद्दा उठा था लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि लोकतन्त्र सभी समूहों के लोगों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। हालाँकि आजादी के बाद के दशकों में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कोई सुधार नहीं हुआ और संख्या खराब बनी रही।

73वें और 74वं संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिए पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की एक तिहाई सीटें आरक्षित करनी पड़ी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। पहली बार महिलाओं को पंचायती राजव्यवस्था के तीनों स्तरों के एक तिहाई स्थानों पर भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन के बाद निश्चित रूप से समाज में गतिशीलता आई है। इस संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात् महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया है। अब वे राजनीति में सक्रिय होने लगी है। स्थानीय निकायों में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा 'एक मील के पत्थर' के समान है।[3]

संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार संसद में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत होनी चाहिए। चीन, रूस, कोरिया, फिलीपींस आदि देशों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का पहले से ही प्रावधान किया हुआ है। जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे आदि देशों की राजनीतिक पार्टियों ने भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है।

तालिका 1: भारत के 50 प्रतिशत महिला आरक्षण वाले राज्य[4]

क्र.सं.	प्रदेश	क्र.सं.	प्रदेश
1.	आन्ध्रप्रदेश	2.	असम
3.	बिहार	4.	छत्तीसगढ़
5.	गुजरात	6.	हिमाचल प्रदेश
7.	झारखण्ड	8.	कर्नाटक
9.	केरल	10.	मध्यप्रदेश
11.	महाराष्ट्र	12.	पंजाब
13.	राजस्थान	14.	सिक्किम
15.	तमिलनाडु	16.	तेलंगाना
17.	त्रिपुरा	18.	उत्तराखण्ड
19.	पश्चिमी	20.	बंगाल

73वें, 74वें संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य था महिलाओं को घर से बाहर सार्वजनिक जीवन में लाना और सम्भवः आरक्षण के बिना ऐसा सम्भव नहीं था किन्तु इसके लिए अभी शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों की आवश्यकता है। राजनीतिक अनुभव तो समय के साथ ही आयेगा। अपेक्षा है आरक्षण से अब वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपनी शक्ति को सामाजिक विकास के कार्यों में लगा सकेगी तथा राजनीतिक कार्यकलापों में सहयोग कर सकेंगी।[5]

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023

106वाँ संविधान संशोधन, अधिनियम, 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें एस.सी. और एस.टी. के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है। आरक्षण अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा और संसदीय कारवाई द्वारा निर्धारित संभावित विस्तार के साथ 15 वर्ष की अवधि तक रहेगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान 19 सितम्बर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था।[6] यह पहला बिल था जिस पर नए संसद भवन में विचार किया गया। 20 सितम्बर को लोकसभा ने विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 वोटों के साथ पारित किया गया। 21 सितम्बर, 2023 को राज्यसभा ने विधेयक के पक्ष में 214 वोटों के साथ सर्वसम्मति से पारित कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा 28 सितम्बर, 2023 को विधेयक पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन गजट अधिसूचना भी प्रकाशित की गई, जिससे यह बना।

कार्यान्वयन के बाद निचले सदन में कम से कम 181 (लगभग 33.3 प्रतिशत सीटें) महिला सदस्य होनी चाहिए। वर्तमान समय में लोकसभा में 82 महिलाएँ है जो इसके सदस्यों का 15 प्रतिशत है। भारत के 70 से अधिक वर्षों के चुनावी इतिहास में महिला सांसदों की हिस्सेदारी कभी भी 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रही है।

संविधान का 128वाँ संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रावधान

- इस बिल के माध्यम से आर्टिकल 339एए, 330ए, 332ए और 334ए में संशोधन किए गए।
- 339एए के माध्यम से 33 फीसदी सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
- 330ए के माध्यम से लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली एक तिहाई सीटें (एस.सी. और एस.टी. से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित सीट सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
- 332ए के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे। अनुसूची के खण्ड–3 में एस.सी. और एस.टी. सहित एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
- 334ए में नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्ष के लिए होगी। भविष्य में जरूरत महसूस होने पर संसद को आरक्षण की अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।[7]

निष्कर्ष

अन्त में निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि आरक्षण के माध्यम से देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को प्राप्त एक तिहाई आरक्षण इसका प्रमाण है। सम्भवतः लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं को मिले एक तिहाई आरक्षण के परिणाम और सूखद होंगे।

संदर्भ

1. कौशिक आशा, नारी सशक्तिकरणः विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004, पृ. 239
   https://hindi.webdunia.com महिला आरक्षण बिल का सफरनामा
2. पंचायतीराज का नवीन स्वरूप, सचिवालय (रिपोर्ट) जयपुर।
3. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (रिपोर्ट), 20 फरवरी, 2020
4. कौशिक आशा, नारी सशक्तिकरणः विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004, पृष्ठ 240
5. "संसद का विशेष सत्रः सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया" – बिजनेस स्टैडर्ड 19 सितम्बर, 2023
6. न्यू इंडिया समाचार, 16–31 अक्टूबर, 2023